

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  
(गृह मंत्रालय)

अंतिम तारीख : 09.05.2016

केओसुब में आरक्षक/ट्रेड्समेन की भर्ती - 2016

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वेतन बैड -1 5200-20200रु + ग्रेड वेतन 2000रु तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य तथा अनुमत्य भत्तों सहित, नाई, मोची, रसोईया, माली, पेंटर, सफाईवाला तथा धोबी के ट्रेड में निम्नलिखित आरक्षक/ट्रेड्समेन के अस्थाई पदों को भरने के लिए भारतीय पुरुष नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये केओसुब अधिनियम और नियमों के साथ-साथ बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों तथा समय-समय पर लागू अन्य अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत शासित होंगे। नियुक्ति उपरान्त वे 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकर्त्ताओं के लिए लागू "नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम" के अनुरूप पेंशन संबंधी लाभों को पाने के पात्र होंगे।

प्रत्येक क्षेत्र/सेक्टर में शामिल किए गए राज्य इस प्रकार हैं

पूर्वी सेक्टर	पश्चिमी सेक्टर	उत्तरी सेक्टर	दक्षिणी सेक्टर	उत्तरी पूर्वी सेक्टर
1 बिहार	4 छत्तीसगढ़	11 चंडीगढ़	20 आंध्रप्रदेश	27 अंडमान निकोबार
2 झारखंड	5 दादरा नगर हवेली	12 दिल्ली	21 कर्नाटक	28 अरुणाचल प्रदेश
3 उड़ीसा	6 दमन एवं दीव	13 हिमाचल प्रदेश	22 केरल	29 असम
	7 गोवा	14 हरियाणा	23 लक्षद्वीप	30 मणिपुर
	8 गुजरात	15 जम्मू-कश्मीर	24 पांडिचेरी	31 मेघालय
	9 मध्यप्रदेश	16 पंजाब	25 तमिलनाडू	32 मिजोरम
	10 महाराष्ट्र	17 राजस्थान	26 तेलंगाना	33 नागालैंड
		18 उत्तराखंड		34 सिक्किम
		19 उत्तरप्रदेश		35 त्रिपुरा
				36 पश्चिमी बंगाल

कांस्टेबल/ट्रेड्समेन की क्षेत्र-वार/ ट्रेड-वार / श्रेणी-वार रिक्तियां इस प्रकार हैं :-

पद का नाम	श्रेणी	पूर्वी सेक्टर			पश्चिमी सेक्टर			उत्तरी सेक्टर			दक्षिणी सेक्टर			उत्तरी पूर्वी सेक्टर			कुल योग
		पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	
नाई	सामान्य	0	1	1	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	1	1	11
	अनु.जाति	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	03
	अ.ज.जा	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
	अ.पि.व.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	04
	कुल	0	2	2	0	6	6	0	6	6	0	4	4	0	2	2	20
मोची	सामान्य	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	01
	अ.ज.जा	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	03
	अ.पि.व.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	02
	कुल	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	0	1	1	07
रसोईया	सामान्य	0	3	3	0	4	4	0	9	9	0	5	5	0	2	2	23
	अनु.जाति	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	2	2	07
	अ.ज.जा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अ.पि.व.	0	2	2	0	3	3	0	4	4	0	3	3	0	1	1	13
	कुल	0	6	6	0	9	9	0	15	15	0	9	9	0	5	5	44
माली	सामान्य	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
पेंटर	सामान्य	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
सफाईवाला	सामान्य	0	2	2	0	2	2	0	4	4	0	3	3	0	2	2	13
	अनु.जाति	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	03
	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	02
	अ.पि.व.	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0	07
	कुल	0	4	4	0	5	5	0	8	8	0	5	5	0	3	3	25
धोबी	सामान्य	0	2	2	0	3	3	0	3	3	0	2	2	0	2	2	12
	अनु.जाति	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	04
	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	01
	अ.पि.व.	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	1	1	08
	कुल	0	4	4	0	5	5	0	7	7	0	6	6	0	3	3	25
कुल योग		0	18	18	1	27	28	0	38	38	1	25	26	0	14	14	124

### भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां

क्रमांक	पद का नाम	कुल रिक्तियां
1	नाई	2
2	रसोइया	5
3	सफाईवाला	3
4	धोबी	3
	<b>कुल</b>	<b>13</b>

#### टिप्पणी

- (1) यदि कोई उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलता है तो उस स्थिति में इनके लिए आरक्षित रिक्तियां सीधे खुले बाजार (ओपन मार्केट) के आवेदकों से भरी जाएंगी।
- (2) यह भर्ती केवल भारतीय पुरुष नागरिकों के लिए खुली है।
- (3) ये रिक्तियां अंतिम चयन के समय बिना कोई कारण बताए परिस्थितियों के अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती हैं। वर्तमान सरकारी आदेशों तथा गृह मंत्रालय द्वारा यथासूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध है।
- (4) ये पद अस्थाई हैं किन्तु स्थाई किए जा सकते हैं।
- (5) बल की स्थानांतरण नीति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की देश के किसी भी भाग में तैनाती की जा सकती है।
- (6) वर्ष 1984 के दंगों में तथा गुजरात में वर्ष 2002 में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित/बच्चे तथा पूर्व सैनिक किसी भी सेक्टर में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

#### चेतावनी : अनुचित साधनों का प्रयोग तथा प्रतिरूपण :-

- 1) कैओसुब का प्रयास निष्पक्षता और बिना भेदभाव के प्रतिबद्ध, वफादार और उत्तम उम्मीदवारों की भर्ती करने का रहा है। इसलिए उम्मीदवारों को "दलालों से सावधान" रहने की सलाह दी जाती है।
- 2) किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने तथा प्रतिरूपण का सहारा लेने पर उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दी जाएगी तथा कानूनी प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी का प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी पर भविष्य में कैओसुब में भर्ती हेतु आवेदन देने के लिए रोक लगा दी जाएगी।
- 3) किसी तरह की कोई भी सिफारिश करने पर अभ्यर्थी को चयन से बाहर कर दिया जाएगा।
- 4) यदि कोई व्यक्ति दलाल के रूप में कार्य करता है अथवा दलाल की सहायता लेता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

#### 2. पात्रता मानदंड : सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए

आयु : 18 से 23 वर्ष के बीच।

- (क) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 01.08.2016 होगी इसमें सभी ट्रेड के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आवेदक भी शामिल हैं।

- (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक निवास करने वालों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दिये जाने का प्रावधान है। इस श्रेणी के अन्तर्गत छूट का दावा प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को जिला मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रह चुके हैं अथवा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक जम्मू और कश्मीर में रहने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

**1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रितों और बच्चों को भी अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी**

- (ग) **बच्चे अर्थात्** (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) **परिवार के आश्रित सदस्य** अर्थात् (क) पत्नी अथवा (ख) बच्चे अथवा (ग) भाई और बहन जहां दंगों में मारा गया व्यक्ति अविवाहित हो और वे दंगों में मारे जाने के समय उस पर पूरी तरह आश्रित हो, ऐसे मामले में 05 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पात्र हैं। यह छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अतिरिक्त होंगी।

#### नोट :

यह विज्ञापन आरक्षक/ट्रेड्समैन (पुरुष) की भर्ती से संबंधित है। अतः 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के पुरुष आश्रितों और बच्चों में केवल पुरुष आवेदकों पर ही विचार किया जाएगा। इस श्रेणी के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट पाने के लिए आवेदकों को इस आशय का जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्र में व्यक्ति मारा गया था, के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (घ) उपरोक्त के अलावा सरकारी आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष तक की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट होगी।

ii) **विभागीय आवेदकों के लिए :-**

केओसुब के आरक्षक/ट्रेड्समैन जो वर्तमान ट्रेड को बदलना चाहते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट (सामान्य श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए 45 वर्ष) है बशर्ते कि बल में न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित सेवा की हो, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी की हो, दंडरहित रिकार्ड हो तथा पूरी सेवा के दौरान न्यूनतम वार्षिक ग्रेडिंग "औसत" से ऊपर हो।

iii) **केवल विभागीय कार्मिकों के बच्चों के लिए**

सेवारत केओसुब कार्मिकों के बच्चे जो उनके साथ रह रहे हैं वे या तो अपने गृह निवास राज्य से अथवा उस राज्य से जिसमें सेवारत व्यक्ति आवेदन प्रस्तुति के समय वहां तैनात हों आवेदन कर सकते हैं। इस रियायत का लाभ उठाने के लिए उन्हें यूनिट कमांडर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा मूल निवास स्थान प्रमाण-पत्र की प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करनी होगी।

**ब) शैक्षणिक पात्रता**

**सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए**

अभ्यर्थी ने कुशल ट्रेड (अर्थात नार्ड, मोची, रसोईया, पेंटर, माली तथा धोबी) के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित कार्मिकों को वरियता दी जाएगी। **अकुशल** ट्रेड (अर्थात सफाईवाला) के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

राज्य शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अलावा शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ **भारत सरकार की अधिसूचना** जिसमें ऐसी शैक्षणिक योग्यता केन्द्र सरकार में रोजगार हेतु मैट्रिक/दसवीं कक्षा के समकक्ष घोषित की गई हो उस अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।

**ग) शारीरिक मानक**

श्रेणी	लम्बाई	सीना
(i) सामान्य/अनु.जा व अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए (केवल नीचे (ii) में उल्लेखित को छोड़कर)	170 सेमी.	न्यूनतम 80 सें.मी. 05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाव सहित अर्थात 80-85 सें.मी
(ii) निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले आवेदकों के लिए मानकों में छूट (क) गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम नागालैण्ड अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा, मिजोरम मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी परन्तु <b>परिशिष्ट-झ</b> के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। उपर्युक्त मानक [पैरा 2 (ग) (ii) (क), सभी श्रेणियों (अर्थात सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु.जाति) के लिए लागू है	165 सेमी.	न्यूनतम 78 सें.मी. 05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाव सहित अर्थात 78-83 सें.मी
(ख) अनुसूचित जन जातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थी	162.5 सेमी.	न्यूनतम 76 सें.मी. 05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाव सहित अर्थात 76-81 सें.मी
<b>टिप्पणी : पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों में पूरी छूट है।</b>		

**घ) चिकित्सा मानक**

(i) **दृष्टि** : दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टता 6/6 और 6/9 बिना सही किए हुए अर्थात बिना चश्मे के।

(ii) अभ्यर्थियों को संहत जानुओं, चपटे पैर, स्फीति शिराओं अथवा आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। वे अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हों जो कर्तव्यों के प्रभावी पालन में बाधा पहुंचाते हैं।

**ङ) निवास प्रमाण पत्र**

(i) किसी राज्य से जुड़े आवेदक को अपना निवासी प्रमाण-पत्र उस सेक्टर में प्रस्तुत करना है जहां वे आवेदन कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को निवास प्रमाण पत्र देने से छूट प्राप्त है। वे ग्राम सरपंच/नम्बरदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ संसदीय चुनाव क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदाता सूची में आवेदक के नाम को दर्शाने वाली मतदाता सूची की प्रति संलग्न करेंगे।

(ii) 1984 के दंगों में तथा गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित तथा बच्चों को निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है वे अपने निवास स्थान पर विचार किए बिना किसी भी सेक्टर में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें उस जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से **प्रमाण पत्र प्रस्तुत** करना होगा जहां व्यक्ति मारा गया है।

### 3. भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए पात्रता शर्तें

(1) "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है;

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी हो अथवा गैर वर्दीधारी) में सेवा की हो।
- (क) जो अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन संबंधी अवधि पूरी करने पर अपने नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त अथवा कार्यमुक्त अथवा सेवामुक्त हुए हों।
- (ख) जो रक्षा सेवाओं के कारण चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवामुक्त हो तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हों; अथवा
- (ग) जो स्थापना में पदों की कमी होने के कारणवश सेवामुक्त किए गए हों

अथवा

- (ii) जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों अथवा उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक अर्थात् निरन्तर सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।

अथवा

- (iii) "सेना डाक सेवा" के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो।

अथवा

- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए "सेना डाक सेवा" में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों

अथवा

- (v) 'क्षेत्रीय सेना' कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।

अथवा

- (vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त पूर्व सैनिक।

#### (2) सेवा में व्यवधान :

पूर्वात्तर क्षेत्र के आवेदकों सहित आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् 01.08.2016 को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सेवा मुक्त होने की तारीख से तीन वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

**आयु:** उन्हें वास्तविक आयु में से सेवा अवधि घटाए जाने की अनुमति है और परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनु.ज.जाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में और 5 वर्ष की छूट निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि पूर्वात्तर क्षेत्र के आवेदकों सहित आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख अर्थात् 01.08.2016 होगी।

#### (3) चिकित्सा श्रेणी :

सेवामुक्त होने के समय "ए" (ए.वाई.ई) अथवा श्रेणी -1. उनके पास वही चिकित्सा मानक होने चाहिए जो केओसुब में आरक्षक/ट्रेड्समैन के पद की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित है।

#### (4) सेवा मुक्ति के समय चरित्र : अनुकरणीय / बहुत अच्छा

- (5) **शैक्षणिक अर्हता :** मैट्रिकुलेशन या समकक्ष या सेना का प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र या वायुसेना तथा नौ सेना का समकक्ष प्रमाण पत्र।

अन्य पात्रता शर्तें वही रहेंगी जो पात्रता मानदंडों में यथा उल्लिखित अन्यो के लिए लागू हैं।

### 4. अपात्रता :

- i) ऐसा कोई व्यक्ति

- (क) जिसने उस व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है।

अथवा

(ख) जिसने जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया है, फोर्स में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्त कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पार्टी के लिए लागू निजी कानून के तहत अनुमत्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

(ii) सरकारी सेवा से निष्कासन

(iii) परिवीक्षा के दौरान के औसुब सेवा से निष्कासित होने पर

5. **कांस्टेबल/ट्रेड्समैन के पद के लिए भर्ती स्कीम**

जिन उम्मीदवारों के आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें भर्ती के आगे के चरणों के लिए बुलाया जाएगा। नीचे (क) तथा (ख) में उल्लिखित जिन उम्मीदवारों के आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें भर्ती के आगे के चरणों के लिए बुलाया जाएगा। नीचे (क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रत्येक चरण को पास करना होगा अर्थात् इन परीक्षाओं के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे परन्तु प्रत्येक उम्मीदवार को भर्ती में आगे आने के लिए प्रत्येक चरण को अवश्य पास करना होगा। किसी भी चरण में असफल होने पर उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

क) **पात्रता परीक्षा**

संबंधित पदों के लिए आयु, शैक्षणिक अर्हता, लंबाई, सीना आदि जैसे पात्रता मानदंडों का सत्यापन भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापन में निर्धारित मानकों के अनुरूप अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपि वे हेतु आरक्षण संबंधी लाभ प्राप्त करने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह नोटिस में निर्धारित योग्यता के अनुरूप ऐसे आरक्षणों के लिए पात्र हैं। उनके पास भर्ती के समय अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र होने चाहिए। विज्ञापन में दिए गए अनुसार जो अभ्यर्थी लंबाई संबंधी पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए, उनपर विचार नहीं किया जाएगा। जो उत्तीर्ण पाए जाएंगे उन्हें निम्नलिखित पी.ई.टी इवेंट के लिए भेजा जाएगा।

ख) **शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET)**

i) 6 मिनट और 30 सेकण्ड में एक मील की दौड़ पूरी करनी होगी।

ii) जो आवेदक पी.ई.टी पास कर लेंगे उन्हें शारीरिक माप तथा पात्रता मानक/दस्तावेजों के विस्तृत सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।

iii) पी.ई.टी./पी.एस.टी पात्रता मानकों के विस्तृत सत्यापन में विफल अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें आगे की परीक्षा में जाने की अनुमति नहीं होगी।

**टिप्पणी : पूर्व सैनिकों को शारीरिक क्षमता परीक्षा से छूट है।**

ग) **ट्रेड परीक्षा**

जो आवेदक शारीरिक क्षमता परीक्षा, पी.एस.टी./शारीरिक माप तथा पात्रता मानकों के विस्तृत सत्यापन में उत्तीर्ण होंगे उन्हें नीचे दिए गए प्रत्येक पद के लिए निर्धारित ट्रेड परीक्षा के लिए भेजा जाएगा।

1) **नाई**

- क) औजार चलाने में कुशल
- ख) बाल काटना
- ग) दाढ़ी बनाना

2) **मोची**

- क) जूते पॉलिश करना
- ख) औजार चलाना
- ग) चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना

3) **रसोइया**

- क) 100 व्यक्तियों के लिए रोटी और चावल बनाना
- ख) 100 व्यक्तियों के लिए सब्जी/दाल/सांबर/इडली आदि बनाना
- ग) मांस/मछली/अंडा/खीर आदि बनाना

4) **माली**

- क) रोपण तथा उपरोपण कार्य करना
- ख) पौधों की देखभाल
- ग) बीजों और उनको उगाने के मौसम तथा सीती, वीसीती में उर्वरक की जानकारी
- घ) देशी उर्वरकों की जानकारी

5) **पेंटर**

- क) रंग पेंट और रंगों का ज्ञान
- ख) साईन बोर्ड की पेंटिंग
- ग) रंगाई/छपाई (ड्राईंग)

6) **सफाईवाला**

- क) सफाई करना
- ख) शौचालय की सफाई
- ग) स्नानागार की धुलाई आदि

7) **धोबी**

- क) कपड़ों की धुलाई
- ख) सूती खाकी वर्दी पर प्रेस
- ग) गर्म, टेरीकॉट वर्दी पर प्रेस

(iv) **वरियता/मैरिट सूची बनाना**

(क) ट्रेड परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तकों के आधार पर श्रेणी-वार और पद-वार एक पृथक वरियता सूची बनाई जाएगी। समान अंक प्राप्त करने पर अधिक आयु वाले आवेदक को मैरिट लिस्ट में उससे ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा, जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक लंबाई, शैक्षणिक योग्यता तथा पहले नाम की वर्णक्रम की स्थिति से तुलना करके समाधान किया जाएगा। जिस आवेदक की अधिक लंबाई, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता तथा पहले नाम की पूर्व स्थिति वर्णक्रमानुसार होगी, उसे ऊपर रखा जाएगा।

(ख) पूर्व सैनिकों की मैरिट सूची अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीकृत रूप से समेकित तैयार की जाएगी।

v) **चिकित्सा जांच :** वरियता सूची बनाने के बाद, वरियता के क्रम में चुने गए (रिक्तियों की संख्या के समकक्ष) अभ्यर्थियों को उनकी स्वस्थता का मूल्यांकन करने के लिए उन्हें विस्तृत चिकित्सा जांच के लिए भेजा जाएगा।

**6. आवेदन कैसे करें**

**परिशिष्ट-क** के अनुसार दिए गए प्रोफार्मा पर आवेदन के साथ 50/-रु. (केवल पचास रु.) का अपेक्षित आवेदन शुल्क, जो नीचे कॉलम-4 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकारी के पक्ष में जारी पोस्टल आर्डर के रूप में हो तथा कॉलम-5 में यथा उल्लिखित डाक-घर में देय हो, सहित, नीचे दिए गए आवेदन प्राप्त करने वाले संबंधित प्राधिकारियों के पास पहुंच जाना चाहिए। **अनु.जाति/अनु.जन.जाति तथा पूर्व सैनिक** अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट है।

इस अधिसूचना के साथ अपेक्षित फार्म आदि सी.आई.एस.एफ वेबसाइट [www.cisf.gov.in](http://www.cisf.gov.in) पर उपलब्ध है।

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें अभ्यर्थी निवास करता है।	अधिकारी का नाम, जिसे आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए।	निम्नलिखित अधिकारी के पक्ष में जारी किए जाने वाले अपेक्षित आवेदन शुल्क के संबंध में पोस्टल आर्डर	डाकघर का नाम जहां पोस्टल आर्डर देय होगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बिहार, झारखंड, उड़ीसा	उप महानिरीक्षक/के.ओ.सुब. पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय, बोरिंग रोड, पाटलीपुत्र, पटना 800013 (बिहार)	सहायक कमाण्डेन्ट/डी.डी.ओ. के.ओ.सुब. पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना	जी.पी.ओ. पटना
2	छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र	उप महानिरीक्षक/के.ओ.सुब. पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय-1 के.ओ.सुब. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-35 खारघर, नवी मुम्बई-410210 (महाराष्ट्र)	सहायक कमाण्डेन्ट/डी.डी.ओ. के.ओ.सुब. (पश्चिम क्षेत्र-1) मुख्यालय मुम्बई	जी.पी.ओ. मुम्बई
3	चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश	उप महानिरीक्षक/के.ओ.सुब. उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, के.ओ.सुब. कैम्पस, साकेत, पोस्ट-मालवीय नगर नई दिल्ली-110017 (दिल्ली)	सहायक कमाण्डेन्ट/डी.डी.ओ. के.ओ.सुब. उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय नई दिल्ली	जी.पी.ओ. नई दिल्ली
4	आन्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, लक्षदीप, पांडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना	उप महानिरीक्षक/के.ओ.सुब. दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, डी-ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, चेन्नै-600090, (तमिलनाडु)	सहायक कमाण्डेन्ट/डी.डी.ओ. के.ओ.सुब. दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, चेन्नै	जी.पी.ओ. चेन्नै
5	अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल	उप महानिरीक्षक/के.ओ.सुब. के.ओ.सुब. परिसर संख्या-533, के.ओ.सुब. पूर्वी कोलकाता, टॉउनशिप कस्बा, कोलकाता-700107 (पश्चिम बंगाल)	सहायक कमाण्डेन्ट/डी.डी.ओ. के.ओ.सुब. उत्तरी पूर्वी मुख्यालय कोलकाता	जी.पी.ओ. कोलकाता

**टिप्पणी :-** आवेदक को अपने आवेदन अपने निवास राज्य के समक्ष उल्लिखित स्थानों पर प्रस्तुत करने हैं। अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और वे पूरी तरह से रद्द कर दिए जाएंगे।

(क) आवेदन, उपर्युक्त पैरा-6 में दर्शाए गए अनुसार संबंधित उप महानिरीक्षक, के.ओ.सुब. के पास **09.05.2016** तक पहुंच जाने चाहिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासी आवेदन **16.05.2016** तक भेज सकते हैं। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

**7. महत्वपूर्ण अनुदेश**

- केवल पात्र आवेदक निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अधिसूचना में दिए गए सभी प्रावधानों को ध्यान में रखकर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि के संदर्भ में आवेदन कर रहा है उसके लिए वह पात्र है।
- नाम तथा पिता का नाम, मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आवश्यक दस्तावेज इसके समर्थन में संलग्न करना चाहिए अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वयं की अपनी लिखाई से भरा जाना चाहिए इसमें किसी प्रकार का सुधार यदि करना हो तो वह पठनीय हो और आवेदक द्वारा सत्यापित हो।
- आवेदन केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी में भरा जा सकता है।
- आवेदन फार्म परिशिष्ट 'क' के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरा हुआ हो तथा उस पर अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ विधिवत स्वयं सत्यापित करके निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त पैरा-6 में यथा उल्लिखित संबंधित उप महानिरीक्षक के पास **09.05.2016** तक तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों के मामले में दिनांक **16.05.2016** तक भेज दिया जाए। ऐसी ही फोटोग्राफ प्रवेश पत्र पर भी लगाया जाए। (**परिशिष्ट-ग**)

- (क) आवेदन शुल्क के तौर पर सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50/- रु. (पचास रु मात्र) का एक रेखित अप्रतिदेय इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो उपर्युक्त पैरा-6 में दी गई तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित अधिकारियों के पक्ष में जारी तथा कॉलम-5 में दर्शाए गए डाक-घर में देय हो। आवेदन रद्द कर दिया इस आधार पर आवेदन शुल्क वापसी का दावा नहीं किया जाएगा। पोस्टल ऑर्डर के अलावा आवेदन-शुल्क के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (ख) अनुजाति/अनुजन जाति तथा पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आवेदन शुल्क लागू नहीं है।
- (ग) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी आयु तथा शैक्षणिक अर्हता आदि का प्रमाण के तौर पर शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र (पत्रों) की फोटो प्रतियां अभ्यर्थी द्वारा विधिवत स्वयं सत्यापित करके संलग्न की जाएं।
- (घ) अधिसूचना के परिशिष्ट-‘घ’, ‘ड.’ के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा के साथ अनुजाति/अनु. जन जाति तथा अन्य, पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां।
- (ङ) अधिसूचना के परिशिष्ट-‘ज’ के अनुसार गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा तथा मराठी श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी लंबाई तथा सीना (चेस्ट) में छूट प्राप्त करने के लिए एस.डी.एम/तहसीलदार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की स्वयं-सत्यापित वास्तविक प्रति संलग्न करें।
- (च) अधिसूचना के परिशिष्ट-‘ज’ के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, कश्मीर तथा जम्मू कश्मीर के लेह-लद्दाख राज्यों से संबंधित आवेदक लम्बाई तथा सीना (चेस्ट) में छूट प्राप्त करने के लिए एसडीएम/तहसीलदार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी या तो निवास स्थान प्रमाण पत्र अथवा प्रमाण पत्रों की स्वयं-सत्यापित वास्तविक प्रति संलग्न करें।
- (छ) दो लिफाफों (8x19cm के आकार का) पर घर का पता तथा दोनों पर 22/-रु (बाईस रु. मात्र) की डाक टिकट विधिवत चिपकाई हो।
- (ज) स्वयं के हस्ताक्षर (सामने) वाली दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ विधिवत क्लिप करके संलग्न किए जाने अपेक्षित हैं।
- (झ) परिशिष्ट-‘ख’ के अनुसार प्रश्नावली विधिवत भरी हुई हो तथा उस पर आवेदक के हस्ताक्षर हों।
- (ञ) परिशिष्ट-‘ग’ के अनुसार प्रवेश-कार्ड विधिवत भरा हो तथा उस पर आवेदक के हस्ताक्षर हों।
- (ट) विभागीय आवेदक, आवेदन फार्म पर यूनिट कमांडर से विधिवत हस्ताक्षर करवाकर उचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें।
- (ठ) परिशिष्ट-‘झ’ के अनुसार सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा वचनबद्धता फार्म प्रस्तुत किया जाए/विभागीय आवेदक यूनिट कमांडर से सेवा प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत करें।
- (ड) वर्ष 1984 के दंगो तथा गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक दंगो में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों के मामले में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
- (ढ) आयु में छूट प्राप्त करने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्यतः 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी रहे हैं वे निवास स्थान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।
- (ण) पद से संबंधित तकनीकी अर्हता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो की स्वयं-सत्यापित छाया प्रति।
- (त) पद से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो की स्वयं-सत्यापित छाया प्रति।
- (थ) अभ्यर्थी जिस सेक्टर से आवेदन कर रहे हैं ऐसे राज्य से संबंधित स्वयं-सत्यापित निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- (द) आवेदक परिशिष्ट-‘क’ के कॉलम-5 और 6 में यह संकेत कर सकते हैं कि वे या तो सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध में से कोई एक हैं अथवा पारसी हैं।

**पूर्व सैनिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज :**

- क) सेवा-मुक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
- ख) परिशिष्ट-‘च’ के अनुसार ‘वचनबद्धता’
- उपर्युक्त दस्तावेजों वाले लिफाफे पर इस प्रकार लिखा होना चाहिए “आरक्षक/नाई अथवा आरक्षक/मोची अथवा आरक्षक/रसोईया अथवा आरक्षक/माली अथवा आरक्षक/पेंटर अथवा आरक्षक/सफाईवाला अथवा आरक्षक/घोड़ी के पद के लिए आवेदन इसमें से जो भी लागू हो।
  - निर्धारित किसी भी परीक्षा में फेल होने पर अभ्यर्थी को उसी स्तर पर निकाल दिया जाएगा।
  - इन पदों का आवेदन करने वाले आवेदक को शारीरिक क्षमता जांच तथा शारीरिक मानक जांच तथा ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। आवेदक को निर्धारित क्रियाकलापों की तैयारी करके अपने जोखिम पर भाग लेने के लिए तैयार होकर आना है। कैऔसुब अथवा भारत सरकार, पूरी भर्ती प्रक्रिया अथवा यात्रा के दौरान आवेदक को चोट लगने अथवा अन्य दुर्घटना होने पर, किसी प्रकार क्षतिपूर्ति के जिम्मेदार नहीं होंगे।
  - भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि आवेदक भर्ती बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उसी दिन लिखित में एक अपील भर्ती केन्द्र के पर्यवेक्षक उप महानिरीक्षक को कर सकता है और पर्यवेक्षक उप महानिरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. चयनित अभ्यर्थी को हमारे आर.टी.सी ( भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र) में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना अपेक्षित होता है जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा । वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे, यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। परीक्षाधीन अवधि के दौरान यदि वे किसी भी कारण से अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी ।
11. डाक में विलंब होने पर केओसुब (सी.आई.एस.एफ.) जिम्मेदार नहीं होगा ।
12. आवेदन, सरकारी फॉर्मेट के अनुरूप न होने पर, अधूरी/गलत सूचना देने/अपेक्षित प्रमाण पत्र अधूरे होने/तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर छोड़ देने/जहां देय हो वहां फीस जमा न करने/उपयुक्त स्थान पर लगाई जाने वाली स्वयं सत्यापित फोटोग्राफ न होने पर आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पूर्णतया रद्द कर दिया जाएगा ।
13. आवेदन, परिशिष्ट 'क' के अनुसार विज्ञापन के साथ प्रकाशित निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र डबल स्पेस में टाईप किया हुआ हो अथवा हाथ से साफ सुथरा लिखा हुआ हो परन्तु फॉर्मेट वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रकाशित किया गया हो । विभाग कोई आवेदन प्रपत्र प्रदान नहीं करेगा ।
14. सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा तथा अपने नियोक्ता की ओर से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' संलग्न करना होगा । उन्हें **परिशिष्ट-झ** के अनुसार एक वचनबद्धता देनी होगी ।
15. हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा कोई प्रमाण पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद के साथ विधिवत सत्यापित कर संलग्न किया जाना चाहिए अन्यथा इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
16. किसी प्रकार का पक्ष प्रचार करने तथा सिफारिश करने पर आवेदक को चयन से बाहर कर दिया जाएगा।
17. ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा जो अनुदेशों के अनुसार न भरे गए हों अथवा आंशिक रूप से भरे गए हो तथा कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा । निम्नलिखित कारणों से आवेदन रद्द किए जा सकते हैं :
  - (क) अपूर्ण तथा अपठनीय तथा निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो ।
  - (ख) अनु.जाति/अनु.जन.जाति तथा पूर्व सैनिकों को छोड़कर 50/- रु. (केवल पचास रु.) के पोस्टल ऑर्डर के बिना।
  - (ग) स्वयं के पता लिखे दो लिफॉफे पर 22/- रु. की डाक मोहर विधिवत चिपकाई न गई हो।
  - (घ) अहस्ताक्षरित/बिना तारीख/बिना फोटोग्राफ के ।
  - (ङ) विधिवत स्वयं सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न न करना ।
  - (च) कम आयु/अधिक आयु के अभ्यर्थी।
  - (छ) आवेदन प्रस्तुत करते समय अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता न होना ।
  - (ज) आवेदन अंग्रेजी अथवा हिन्दी में न भरना तथा अभ्यर्थी द्वारा अपनी लिखाई में भरा हुआ न होना
  - (झ) अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में उचित प्रमाण पत्र न देना। प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र (जैसा कि अधिसूचना में विहित है ) में सक्षम प्राधिकारी की ओर से प्राप्त करना चाहिए।
  - (ञ) इस अधिसूचना में यथाउल्लिखित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदन।
  - (ट) कोई अन्य अनियमितता जैसे आवेदन/दस्तावेजों आदि का विकृत तथा कटा-फटा होना।
18. अभ्यर्थियों को भर्ती केन्द्र पर 4-6 दिन ठहरने के लिए स्वयं व्यवस्था करके आना होगा । यात्रा तथा ठहरने के लिए कोई टीए.-डीए. स्वीकार्य नहीं है । भर्ती स्थल पर मोबाइल तथा केलकुलेटर लाना सख्त मना है।
19. चयन तथा नियुक्ति के बाद यदि अभ्यर्थी किसी भी कारण से अयोग्य/अपात्र माना जाता है तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी ।
20. कोई भी कमी जो दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के समय पता न चल पाई हो तथा बाद के स्तर पर पता चलने/नोट किए जाने पर अभ्यर्थी उस पद के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा तथा उसे भर्ती के बाद के क्रिया-कलापों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस संबंध में किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।
21. महानिदेशक, केओसुब के पास बिना कोई कारण बताए भर्ती में परिवर्तन करने अथवा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है ।
22. आरक्षक/ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए निर्धारित सभी परीक्षाओं को मात्र पास कर लेना ही अभ्यर्थियों को चयन का अधिकार प्रदान नहीं करता बल्कि उन्हें उस पद विशेष के लिए उपलब्ध रिक्रियों को ध्यान में रखते हुए मेरिट में आना होगा ।
23. भर्ती के विभिन्न स्तरों पर सफल होना नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि विभाग चिकित्सा जांच या इसके बाद ऐसी पूछताछ से सतुष्ट न हो जाए , जिसमें सेवा/पद की नियुक्ति हेतु आवेदक को सभी तरह से उपयुक्त पाया गया है ।
24. आवेदक को भर्ती के सभी स्तरों में भाग लेना है जिसके लिए वह योग्य पाए गए हैं। यदि आवेदक किसी चरण / क्रिया-कलाप जिसके लिए वह योग्य है, में अनुपस्थित रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।
25. एक से ज्यादा आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
26. केओसुब ने पारदर्शिता अपनाकर तथा पक्षपात रहित होकर योग्य, वचनबद्ध, निष्ठावान तथा सर्वोत्तम अभ्यर्थियों की भर्ती का प्रयास किया है । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह **'दलालों से सावधान रहें'** ।
27. केओसुब भर्ती के बारे में और जानकारी के लिए <http://www.cisf.gov.in> देख सकते हैं ।



## केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक/ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए आवेदन पत्र-2016

रोल नं. \_\_\_\_\_ (भर्ती केन्द्र द्वारा दिया जाएगा)

1. जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उसका नाम
2. अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरों में जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में रिकार्ड है)
3. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में रिकार्ड है)
4. जन्मतिथि दिन  महीना  वर्ष
5. धर्म हिंदू ☐ मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ इसाई ☐ बौद्ध ☐ पारसी ☐  
अन्य (कृपया उल्लेख करें)
6. क्या सरकारी आदेशों के अनुसार किसी एक मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ इसाई ☐ बौद्ध ☐ पारसी ☐ अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है।
7. श्रेणी सामान्य ☐ अनु. जाति ☐ अ.ज.जा ☐ अ.पि.व ☐
8. क्या पूर्व सैनिक हैं? हां ☐ नहीं ☐
9. क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित हैं? हां ☐ नहीं ☐
10. क्या 1984 के दंगों तथा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों की श्रेणी में आते हैं? हां ☐ नहीं ☐
11. क्या 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी रहे थे? हां ☐ नहीं ☐
12. क्या आप कभी दोषी पाए गए हैं? हां ☐ नहीं ☐
13. किस राज्य से संबंधित है।
14. पत्राचार के लिए पता  
मकान सं०  गांव/वार्ड   
डाकघर  थाना   
जिला  राज्य   
पिन कोड
15. स्थायी पता  
मकान सं०  गांव/वार्ड   
डाकघर  थाना   
जिला  राज्य   
पिन कोड
16. स्पष्ट पहचान चिन्ह  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_
17. शैक्षणिक अर्हता सिविल \_\_\_\_\_ आर्मी \_\_\_\_\_
18. पोस्टल ऑर्डर का ब्यौरा :
19. क्या आप शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र हैं? हां ☐ नहीं ☐
20. केवल पूर्व सैनिकों के लिए  
क) आर्मी संख्या   
ख) रैंक   
ग) ट्रेड   
घ) नियुक्ति की तारीख दिन  महीना  वर्ष   
ङ) सेवामुक्ति की तारीख दिन  महीना  वर्ष

हाल ही के खींचे गए  
स्वयंहस्ताक्षरित  
पासपोर्ट साईज  
फोटो चिपकाए

21. **केवल विभागीय (केओसुब) आवेदकों के लिए.**

क) केओसुब सं०

ख) रैंक

ग) वर्तमान इकाई

घ) नियुक्ति की तारीख  -  -

ङ) परीक्षा अवधि पूरी होने की तारीख  -  -

च) दंड के ब्यौरे                      बड़ा                       छोटा

छ) क्या पूरी सेवा के दौरान वार्षिक ग्रेडिंग औसत से ऊपर अथवा अन्यथा रही है?    हां                       नहीं

ज) पैरा 21 (क) से (छ) पर प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के प्रमाण के तौर पर यूनिट कमांडर की सरकारी स्टैम्प सहित हस्ताक्षर

22. **केवल केओसुब कार्मिकों के बच्चों के लिए**

क) माता/पिता की केओसुब सं०

ख) रैंक

ग) नाम

घ) वर्तमान यूनिट एवं राज्य

ङ) माता-पिता का गृह राज्य

च) क्या केओसुब कार्मिक का बच्चा अपने गृह राज्य से अथवा उस राज्य से जहां उनके माता-पिता वर्तमान में तैनात हैं, आवेदन करना चाहता है (बाद के स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा)                      अपने गृह राज्य                       वह राज्य जहां मेरी माता/पिता पदस्थ हैं।

छ) पैरा 22 (क) से (च) तक प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के प्रमाण के तौर पर यूनिट कमांडर के सरकारी स्टैम्प सहित हस्ताक्षर।

23. **केवल अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए**

क) कार्मिक संख्या

ख) रैंक/पदनाम

ग) पूरा डाक पता (कार्यालय)

घ) सेवा की तारीख

          भर्ती की तारीख

ङ) परीक्षा अवधि पूरी होने की तारीख

च) दंड के ब्यौरे    बड़ा     छोटा

छ) क्या पूरी सेवा के दौरान वार्षिक ग्रेडिंग औसत से ऊपर या अन्यथा रही है                      हां                       नहीं

ज) पैरा 23 (क) से (छ) तक प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के प्रमाण के तौर पर यूनिट कमांडर के सरकारी स्टैम्प सहित हस्ताक्षर।

24. **परिशिष्ट 'ख' के अनुसार प्रश्नावली विधिवत् भरकर तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए।**

25.

**घोषणा**

(सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया हुआ हो)

1. मैं एतद्वारा प्रमाणित तथा घोषणा करता हूँ कि आवेदन में प्रस्तुत विवरण मेरे संज्ञान और विश्वास से सत्य, पूर्ण तथा सही हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान तथा बाद में किसी भी स्तर पर मेरी सूचना तथा उसका कोई भाग गलत तथा अशुद्ध पाया जाता है तथा मैं इस नोटिस में निर्धारित पात्रता मानदंडों पर खरा नहीं उतरता हूँ तो मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति कोई नोटिस दिए बिना स्वतः रद्द/समाप्त कर दी जाएगी तथा केओसुब द्वारा मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
2. मैंने परीक्षा की सूचना में प्रावधानों का ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं एतद्वारा इन पर दृढ़ रहने के लिए वचनबद्ध हूँ।
3. मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि मैं परीक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हूँ। मैंने शैक्षणिक अर्हता, आयु, श्रेणी (अनुजाति/अनुजन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पूर्व सैनिक) तथा आयु छूट आदि के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियाँ संलग्न की हैं।
4. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं आज की स्थिति के अनुसार न तो सरकारी सेवा से निष्कासित किया गया हूँ और न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया हूँ।

स्थान  
तारीख

अभ्यर्थी के बाएँ हाथ के  
अंगूठे का निशान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर न किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा

**केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली उदघोषणा**

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी गाँव/नगर/शहर ..... जिला ..... राज्य .....  
एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं ..... समुदाय से संबंधित हूँ जिसकी पहचान भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 36012/22/93 एस सी टी दिनांक 8/09/93 के अनुसार एक पिछड़े वर्ग के रूप में सरकारी सेवा में आरक्षण देने के उद्देश्य से की गई है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस सी टी) दिनांक 08/09/1993 के कॉलम 3 तथा यथासंशोधित भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 09/03/2004 तथा का.ज्ञा.सं.36033/3/2004-स्था. (आ.) दिनांक 14.10.2008 में उल्लिखित व्यक्तियों, वर्गों, (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

तिथि  
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर  
(आवेदक द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा)

## प्रश्नावली

1	क्या आपको कभी किसी न्यायालय या न्यायिक संस्थान द्वारा दोषी करार दिया गया है ।	हां/नहीं
2	क्या आपके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है ?	हां/नहीं
3	क्या आपके खिलाफ कभी कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा आपके विरुद्ध मामला लंबित है ?	हां/नहीं
4	क्या पूर्व में कभी आपके विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?	हां/नहीं
क)	यदि हां तो मामला संख्या और किस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?	
ख)	जहां प्राथमिकी दर्ज की गई थी उस थाने का नाम ?	
ग)	क्या मामले पर आरोप पत्र जारी किया गया था अथवा एफ.आर. में रखा गया ?	
घ)	यदि आरोप पत्र दिया गया था तो न्यायालय के निष्कर्ष क्या थे	
	1. दोषी	
	2. विमुक्त	
	3. समझौते के आधार पर	
	4. संयोजित	
	5. कोई अन्य तो उल्लेख करें	
5	क्या आपको कभी केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है ?	हां/नहीं
6	क्या आपको परिवीक्षा के दौरान कभी सेवा से निष्काशित किया गया है ?	हां/नहीं

यदि उपरोक्त में से किसी का भी जवाब हां है तो कृपया पूर्ण विवरण अलग पृष्ठ पर दें ।

## वचनबद्धता

मैं ..... घोषित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे जानकारी और विश्वास से पूर्णतया सत्य हैं । मैं यह समझता हूँ कि अगर उक्त सूचना मिथ्या या असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी को समाप्त किया जाए और इसके अलावा मेरे ऊपर विभागीय या न्यायिक प्रक्रिया की कार्यवाई भी की जाए।

स्थान  
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर  
नाम  
पिता का नाम  
पता

## प्रवेश पत्र

(अलग कागज पर छापा जाये/टाईप किया जाये/लिखा जाये)  
(अभ्यर्थी को इस प्रवेश पत्र को प्रस्तुत किये बिना भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा)

## अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए

आवेदित पद का नाम : \_\_\_\_\_

1. नाम : \_\_\_\_\_
2. पिता का नाम : \_\_\_\_\_
3. पत्र व्यवहार का पता : \_\_\_\_\_
4. दिखाई देनेवाला पहचान चिन्ह : \_\_\_\_\_
5. जन्म तिथि : \_\_\_\_\_
6. क्या सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित हैं। : \_\_\_\_\_
7. क्या पहाड़ी या जनजाति से संबंधित हैं। : \_\_\_\_\_

अपने द्वारा सत्यापित  
अपना हाल ही का  
पासपोर्ट आकार का  
फोटो लगाएं।

नोट : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. पहाड़ी/जनजाति के मामले में आयु, शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण पत्रों के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा डिस्चार्ज बुक लेकर आएं।

आवेदक का हस्ताक्षर

## आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा भरा जायेगा

अनुक्रमांक. \_\_\_\_\_

1. पद जिसके लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया गया : \_\_\_\_\_
2. भर्ती केन्द्र का नाम व पूरा पता : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. भर्ती की तारीख : \_\_\_\_\_
4. भर्ती केन्द्र पर उपस्थित होने का समय : \_\_\_\_\_ बजे

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

**अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \*..... पुत्र/पुत्री\* श्री ..... गाँव/नगर\* ..... जो जिला/खंड.....राज्य संघ शासित क्षेत्र .....जाति से संबंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में की गई है :-

- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश 1950@
- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950@
- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश 1951@
- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश 1951@
- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियों (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथासंशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम 1987)
- ❖ संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
- ❖ संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित@
- ❖ संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@
- ❖ संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
- ❖ संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
- ❖ संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@
- ❖ संवैधानिक (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
- ❖ संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
- ❖ संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
- ❖ संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
- ❖ संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
- ❖ संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990@
- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अध्यादेश, 1991@
- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम, 1991@
- ❖ संवैधानिक अनुजाति/अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 2002@
- ❖ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति/अनुजनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
- ❖ संवैधानिक (अनुजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002@

2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनुजन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू हैं जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में प्रवास कर गए हों।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती\* ..... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी \* ..... गाँव/नगर\* ..... जिला/खंड\* ..... राज्य/संघशासित क्षेत्र ..... जो कि .....जाति/जनजाति से संबंधित हो जिसे राज्य/संघशासित क्षेत्र .....द्वारा जारी किए गए .....(जारी करने वाले विहित प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या .....दिनांक .....को जारी किया गया।

# 3. श्री/श्रीमती/कुमारी\* ..... और/अथवा/उसका\* परिवार सामान्यतया गाँव/नगर\* ..... जिला/खंड\* ..... राज्य/संघशासित क्षेत्र\* .....में रहते हैं।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... \*\*पदनाम ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .....

\* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों। @ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपतीय आदेश का उल्लेख करें। # उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो।

**टिप्पणी :** यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्य रूप से" निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

\*\* अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. का प्रमाण जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।

**मामले में प्रवृत्त**

- 1) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)
- 2) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
- 3) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- 4) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते हैं।

**टिप्पणी**

तामिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल राजस्व विभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

**अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* ..... पुत्र/पुत्री/श्री\* ..... गांव/नगर\* ..... जिला/प्रभाग\* ..... में राज्य/संघशासित क्षेत्र\* ..... के ..... जाति से संबंधित है जिसकी निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान की गई है :

- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/93-बी सी सी (सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/09/94-बी सी सी दिनांक 19/10/1994 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/1994 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/7/95 बीसीसी दिनांक 24.05.1995 भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 खण्ड 1 संख्या 88 दिनांक 25.05.1995 में प्रकाशित
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/96/94-बी सी सी दिनांक 09 मार्च ,1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 60 दिनांक 11.03.1996 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/44/96-बी सी सी दिनांक 06 दिसम्बर,1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 210 दिनांक 11.12.1996 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/13/97-बी सी सी दिनांक 03/12/1997 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 239 दिनांक 17/12/1997 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/36/99-बी सी सी दिनांक 11.12.1997 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 236 दिनांक 12.12.1997 में प्रकाशित
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/98-बी सी सी दिनांक 27 अक्टूबर,1999 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 241 दिनांक 27/10/1999 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/88/98- दिनांक 06.12.99 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 270 दिनांक 06.12.1999 में प्रकाशित ।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/36/99 बीसीसी दिनांक 04.04.2000 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 71 दिनांक 04.04.2000 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/44/99 बीसीसी दिनांक 21 सितम्बर 2000 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 210 दिनांक 21 सितम्बर 2000 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12015/9/2000 बीसीसी दिनांक 06 सितम्बर 2001 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 246 दिनांक 06 सितम्बर 2001 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/01/2001 बीसीसी दिनांक 19.06.2003 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 151 दिनांक 20.06.2003 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/4/2002 बीसीसी दिनांक 13.01.2004 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 09 दिनांक 13.01.2004 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/09/2004 बीसीसी दिनांक 16.01.2006 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड संख्या 10 दिनांक 16.01.2006 में प्रकाशित@
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/14/2004 बीसीसी दिनांक 12.03.2007 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड संख्या 67 दिनांक 12.03.2007 में प्रकाशित@

श्री/श्रीमती/कुमारी\* ..... और/या \* उसका \*परिवार सामान्य रूप से ..... गांव/नगर\* ..... जिला/ प्रभाग\* ..... राज्य/संघशासित क्षेत्र\* जो ..... का निवासी है

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस सी टी ) दिनांक 8/09/93, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/03/2004 स्था. (आरक्षण) दिनांक 09.03.2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/03/2004- स्था. (आरक्षण) दिनांक 14.10.2008 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित (कीमीलेयर) व्यक्तियों/समुदायों से संबंधित नहीं है ।

स्थान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....  
\*\*पद का नाम.....  
(कार्यालय की मोहर सहित)

**\*जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं**

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप से' निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

\*\* अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति/अन.ज.जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत हैं ।

@ जो लागू न हों उसे काट दिया जाए ।

**पूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन सिविल पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा  
दिये जाने वाले वचन पत्र का प्रपत्र**

मैं जानता हूँ कि यह आवेदन पत्र जिससे संबंधित है उससे भर्ती/परीक्षा के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है तो, मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की इस शर्त के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बल से विधिवत रूप से छोड़ दिया गया है/सेवा-निवृत्त/कार्य-मुक्त कर दिया गया है तथा मैं समय-समय पर यथासंशोधित पूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पदों पर पुनः नियोजन) नियमावली 1979 के संदर्भ में पूर्व सैनिकों को देय लाभों के लिए पात्र हूँ।

2. मैं यह भी जानता हूँ कि मैं इस परीक्षा द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियोजन के लिए पात्र नहीं रहूँगा यदि मैंने इस नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय सिविल सेवा (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि शामिल हैं) में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर इस छूट का प्रयोग करके कोई नियोजन प्राप्त किया हो।

आवेदक के हस्ताक्षर.

नाम :

स्थान .....

दिनांक .....



स्वस्थता प्रमाण-पत्र

(आवेदक द्वारा पुनरीक्षा चिकित्सा जांच की अपील के साथ प्रस्तुत किया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... आयु..... वर्ष, ..... के आवेदक की .....  
.....तारीख को .....अस्पताल में मेरे द्वारा जांच की गई।

2 मैं अधोहस्ताक्षरी यह जानता हूँ कि श्री ..... को चिकित्सा अधिकारी द्वारा के.ओ.सु.ब. में  
आरक्षक (ट्रेड्समैन) के पद के लिए .....के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया है।

3. मेरे विचार से निर्णय में कुछ त्रुटि है।

स्थान:  
दिनांक :

हस्ताक्षर और नाम  
चिकित्सा परामर्शदाता की मोहर सहित  
पंजीकरण संख्या.....  
(एमसीआई/स्टेट मेडिकल काउंसिल)  
पता .....